गोरख पांडेय की कविता

ख़बरदार

ख़बरदार, ख़तरा है
यहां उसे वही कहना जो वह है
आओ
बग़ैर शर्मिंदा हुए इस महानाटक में
शामिल हो जाएं
और अलग-अलग दुकानों पर बिक रहे
इस सर्वव्यापी झूठ को सच्चाई के साथ दुहराएं
सफ़ेद को स्याह करें, कहें
भुखमरी को भ्रूण-हत्या से कतराती नाजायज़ भीड़ की
पैदावार
महान और गुलाम देश को
पचाती हुई सड़ियल तोंद
तोंद नहीं समाजवाद है

वे अहिंसक कहे जाएं
जो पराए कंधों पर रख कर बंदूक चलाते हैं
जुलूसों के निहत्थे गुस्से पर
बारूद और नारों की बारिश करते हुए
दिल्ली की ओर उड़ जाते हैं
जाहिर है कि यह बाज़ार है
योजनाबद्ध बसा हुआ काला बाज़ार
यहां नमक से ले कर आदमकद आदमी तक बिकाऊ है
कहें इसे ज़ोर देकर
महात्मा के बंदरों ने सिखाया है –
बंद रक्खें आंखें
उंगलियां डाल लें कानों में
होंठ सी लें

डरावनी हो चली है चीख़ें, ख़बरें, आवाज़ें,
बचे रहने के लिए सुअरों की तरह
उलट लें अपनी-अपनी जुबान
चुपचाप
चुपचाप हो जाएं
सो जाएं
आराम और शिकस्त ओढ़ कर
अल्लाहो-ईश्वर की चीख़ से खाली पेट भरें
एक-दूसरे का गला घोंट धर्म करें
अथवा उनकी आत्मा की शांति के लिए
जिन्होंने दी हमें मुर्दा उपाधियों की परंपरा
उपाधियां बांटें –
तरतीब से आदमखोर को अन्नदाता
घड़ियाल को नेता
भेड़िये को समझदार
अंधे कुएं को बहती नदी
ईमान को बेवकूफी
धोखे को प्यार
ख़बरदार, ख़तरा है
यहां उसे वही कहना जो वह है।

पेज 1 का शेष भाग

'शिक्षा का अधिकार' कानून : एक धोखा

बच्चे तो निजी स्कूलों में पढ़ते हैं, पर सरकारी स्कूलों में भी उनका नामांकन दिखलाया जाता है। इधर अपवादस्वरूप कुछ शिक्षकों को छोड़ दिया जाये तो अधिकांश शिक्षक बच्चों को पढ़ाने में कोई रुचि नहीं लेते। ज्यादातर तो फ़र्लो मार लेते हैं अथवा डीईओ के दफ़्तर में हाज़िरी लगाना जरूरी समझते हैं। देहाती क्षेत्रों के स्कूलों में कई बार ऐसी नौबत आ चुकी है कि लगातार एक भी शिक्षक के नहीं आने से आक्रोशित ग्रामीणों ने स्कूलों पर ताला जड़ दिया। अधिकांश शिक्षक अयोग्य भी हैं। उन्होंने क्षेत्रवाद, जातिवाद, चापलूसी और रिश्वत की बदौलत नौकरी पाई है, फ़िर पढ़ाना उनकी प्राथमिकता में क्यों हो! राज्य में भारी संख्या में शिक्षकों के पद खाली हैं। एक भी ऐसा स्कूल नहीं मिलेगा जहां पूरे शिक्षक हों। पर सरकार शिक्षकों की बहालियां नहीं कर रही है। गेस्ट टीचरों से काम चलाया जा रहा है। पर गेस्ट टीचरों को जितना कम मानदेय दिया जा रहा है, उतने में किसी भी विषय का कोई योग्य व्यक्ति स्कूलों में पढ़ाने को तैयार नहीं हो सकता। शिक्षक तबादले पर जाना नहीं चाहते। अगर सरकार उनका तबादला कर देती है तो उसे रुकवाने के लिए वे मंत्रियों तक के चक्कर काटने लगते हैं। इससे स्पष्ट होता है कि शिक्षकों को राजनेताओं का संरक्षण भी प्राप्त है। कुल मिला कर सरकारी शिक्षा व्यवस्था में पूर्ण अराजकता का माहौल है।

'शिक्षा का अधिकार' अधिनियम लागू होने के बाद सरकार ने निजी स्कूलों पर यह दबाव बनाया है कि वे ग़रीब बच्चों के लिए 25 फ़ीसदी सीटें आरक्षित करें और उन बच्चों को मुफ़्त शिक्षा प्रदान करें। सरकार ने यह चेतावनी भी दी है कि ऐसा नहीं करने वाले निजी स्कूलों की मान्यता रद्द कर दी जायेगी। पर ऐसा लगता है कि यह एक 'गीदड़भभकी' मात्र है। निजी स्कूलों ने पहले भी कहा था कि वे ग़रीब बच्चों को शिक्षा देने की ज़िम्मेवारी नहीं ले सकते। कुछ निजी स्कूलों के प्रबंधन ने यह अवश्य कहा था कि वे ग़रीब बच्चों को शिक्षा प्रदान करने के लिए अपने कैंपस अवश्य उपलब्ध करा देंगे, पर नियमित कक्षाओं में उनका नामांकन कर उन्हें पढ़ाना उनके लिए संभव नहीं होगा। दरअसल, अमीरों के बच्चों के साथ ग़रीबों के बच्चे पढ़ भी नहीं सकते। निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के अभिभावक इसे पसंद नहीं करेंगे। इसके अलावा अमीर वर्ग के बच्चों के साथ शिक्षा प्राप्त करने पर ग़रीब वर्ग के बच्चे भी अपने आप को असहज महसूस करेंगे और कई तरह की कुंठाओं के शिकार हो जाएंगे। सरकार के नीति-निर्माता इसे या तो समझ नहीं पा रहे हैं या सब कुछ जानते-बूझते हुए भी इसे अनदेखा कर रहे हैं।

क्या सरकार ने 'शिक्षा का अधिकार' कानून निजी स्कूलों के भरोसे ही बनाया है? निजी स्कूल तो शिक्षा की दुकान हैं जिनका उद्देश्य मुनाफ़ाखोरी है और ऐसा करने की छूट सरकार ने स्वयं उन्हें दी है। 'मज़दूर मोर्चा' ने पहले भी लिखा था कि निजी स्कूल ग़रीब बच्चों के लिए 25 फ़ीसदी सीटें आरक्षित नहीं करेंगे। 'हंसों' की पांत में 'कव्वों' को बैठा पाना उनके लिए संभव नहीं होगा। वे सरकार के निर्देशों की खुली अवहेलना करेंगे और सरकार उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ पायेगी। इसकी वजह यह है कि शिक्षा के व्यवसाय में जो लोग लगे हैं, वे ऐसे लोग हैं जिनकी सरकार में सीधी पहुंच है। पैसे और राजनीतिक संपर्कों के बल पर वे सरकार की नीतियों को प्रभावित करने की क्षमता रखते हैं। नर्सरी कक्षा में एडमिशन के मामले में सरकार ग़रीबों के बच्चों के नामांकन के दिखावटी प्रयास करती रह गई, पर किसी भी निजी स्कूल ने एक भी ग़रीब बच्चे का नामांकन नहीं किया। क्या सरकार में इतना साहस है कि वह उन स्कूलों की मान्यता रद्द कर सके?

'शिक्षा का अधिकार' कानून देश को आजादी मिलने के साथ ही लागू कर दिया जाना चाहिए था। शिक्षा हासिल करना देश के नौनिहालों का बुनियादी हक है। पर आजादी मिलने के 67 साल बाद सरकार ने इस कानून को लागू किया जो विसंगतियों से भरा हुआ है। यह कानून अभी भी लागू नहीं होता, अगर विश्व बैंक ने इसके लिए भारत सरकार पर दबाव नहीं डाला होता। बहरहाल, सरकार ने कानून तो बना दिया, पर इसका लक्ष्य हासिल कर पाना संभव नहीं है। देश में इतनी भयानक ग़रीबी है कि सरकार हर 6 से 14 साल के बच्चे को स्कूल जाने के लिए मजबूर नहीं कर सकती। अपने अस्तित्व को बचाये रखने के लिए भारी संख्या में बच्चे रोटी कमाने में लगे हुए हैं। वे स्कूल कैसे जा पायेंगे? सरकार ने कानून बना कर बालश्रम पर प्रतिबंध लगा दिया, पर क्या यह कानून अमल में आ सका? आ भी नहीं सकता। भूखे बच्चे पहले मेहनत-मशक्कत कर अपनी भूख मिटाने का उपाय करेंगे। शिक्षा तो इसके आगे की बात है।

ग़रीब वर्ग के वे लोग जो अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में मुफ़्त शिक्षा प्राप्त करने के लिए भेज सकते हैं तो उन्हें भी वहां आधी-अधूरी, अधकचरी शिक्षा ही मिलेगी, क्योंकि भ्रष्टाचार और कुप्रबंधन के कारण सरकारी स्कूलों की व्यवस्था का सत्यानाश हो चुका है। लेकिन अगर सरकार की नीयत ठीक हो तो वह सरकारी शिक्षा व्यवस्था में अपेक्षित सुधार कर सकती है। सरकार के पास संसाधनों की कमी नहीं है। आज सरकार द्वारा संचालित केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय बेहतर और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दे रहे हैं। अगर सरकार की नीयत ठीक हो तो वह सभी सरकारी स्कूलों को केंद्रीय विद्यालय और नवोदय विद्यालय के स्तर का बना सकती है। अगर सरकार ऐसा कर दे तो फ़िर भारी-भरकम फ़ीस देकर निजी स्कूलों में पढ़ने कोई नहीं जायेगा। सरकार अपने स्कूलों की व्यवस्था को चाक-चौबंद कर दे तो निजी स्कूलों का अस्तित्व अपने आप समाप्त हो जायेगा। पर सच तो यह है कि सरकार की ऐसा करने की नीयत ही नहीं है। वह 'शिक्षा का अधिकार' कानून का ढोल पीट कर अपने को ग़रीबों का हितैषी साबित करना चाहती है, पर सच्चाई यह है कि सरकारी स्कूलों में पढ़ाई का स्तर दिन-ब-दिन गिरता ही चला जा रहा है और आंकड़े इसकी गवाही दे रहे हैं। अख़बारों में प्रकाशित आंकड़ों के अनुसार कक्षा पांच के 48.2 प्रतिशत बच्चे ही कक्षा दो का पाठ पढ़ सकते हैं। गणित जैसे विषय में अधिकांश विद्यार्थी फिसड्डी साबित हो रहे हैं। ग्रामीण क्षेत्र के स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति की दर लगातार घटती जा रही है। यह सब सरकार की शिक्षा के प्रति घोर उपेक्षापूर्ण नीतियों का ही नतीजा है। अगर सरकार अभी भी गाफ़िल रहती है और अपने शिक्षा तंत्र को मजबूत बनाने का प्रयास नहीं करती है तो 'शिक्षा का अधिकार' कानून से देश के ग़रीब बच्चों को कोई लाभ नहीं होगा। हां, इस नाम पर जो पैसा आ रहा है, उसे भ्रष्ट राजनेता और अधिकारी बेख़ौफ़ हड़प रहे हैं।

नियुक्तियां नहीं कर रही सरकार, कैसे होगा शिक्षा व्यवस्था में सुधार?

अब राज्य में त्रि-स्तरीय पढ़ाई की व्यवस्था 1 अप्रैल से लागू की जानी है। इस व्यवस्था के तहत प्राध्यापक और मास्टर को पहले से निर्धारित कक्षाओं के साथ ही अन्य कक्षाओं के विद्यार्थियों को भी पढ़ाना होगा। पहले कक्षा पहली से पांचवीं तक जेबीटी शिक्षक पढ़ाते थे, कक्षा छः से दसवीं तक मास्टर पढ़ाते थे और कक्षा ग्यारहवीं बारहवीं को प्राध्यापक पढ़ाते थे। पर नयी व्यवस्था के तहत कक्षा एक से आठवीं तक जेबीटी और मास्टर पढ़ायेंगे। पढ़ाई की व्यवस्था में सरकार जो भी फेरबदल करे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पर पढ़ाने के लिए शिक्षक होंगे तभी तो पढ़ाई हो सकेगी। हरियाणा स्कूल प्राध्यापक एसोसियेशन के अनुसार राज्य में 12 हज़ार प्राध्यापकों की आवश्यकता है। साथ ही भारी संख्या में प्रिंसिपलों के पद भी खाली हैं। फरीदाबाद जिले में प्राध्यापकों के 435 पद स्वीकृत हैं जो जरूरत से काफ़ी कम हैं, पर इनमें से भी 100 से अधिक पद खाली हैं। जेबीटी शिक्षकों और मास्टरों के 150 से भी अधिक पद रिक्त हैं। इधर शिक्षा विभाग की वित्तायुक्त ने प्रशासनिक अड़चनों का हवाला देकर शिक्षकों की जल्द भर्ती करने में असमर्थता जताई है। इससे स्पष्ट है कि सरकार की नीयत ही नहीं है कि वह शिक्षकों की बहाली करे। ऐसी स्थिति में सरकारी शिक्षा व्यवस्था में सुधार असंभव है।

सरकारी चिकित्सा सामग्री भंडार में भ्रष्टाचार चरम पर

करनाल (वि.) सरकारी चिकित्सा सामग्री भंडार में भ्रष्टाचार अब चरम पर पहुंच गया है। सीबीआई के छापे के बावजूद हेरा-फेरी और दवाओं की खुले बाज़ार में कालाबाज़ारी जारी है। यहां किसी नियम-कानून की पालना नहीं हो रही है और भंडार को एक तरह से प्राइवेट फ़र्म की तरह चलाया जा रहा है। उल्लेखनीय है कि गत दिनों सीबीआई ने छापा मार कर भंडार अधीक्षक सुभाष गुप्ता को रंगे हाथों पकड़ा था। सुभाष गुप्ता ने बजट की राशि में हेरा-फेरी कर लगभग डेढ़ करोड़ रुपये के अतिरिक्त बजट की मांग की थी। सीबीआई के छापे के बाद उसे निलंबित कर दिया गया। इसके बावजूद भंडार का एक अन्य अधीक्षक (एफ सैक्शन) खुलेआम ठेकेदारों से कमीशन ऐंठने में लगा हुआ है। जब तक ठेकेदार उसे कमीशन नहीं देते, वह गाड़ियों पर से उनका माल उतरवाता ही नहीं है। विनोद कुमार ने सीएमओ के फ़र्जी दस्तखत कर रिकार्ड में हेरा-फेरी भी की थी, पर इस शिकायत के आने के बावजूद उसके खिलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं हुई। विनोद कुमार अपने आप को सीएमओ से कम नहीं समझता। सीएमओ सब कुछ जानते हुए भी उसके विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं करते। इन सब गड़बड़ियों और अनियमितताओं के बारे में भंडार के पैकर रमेश कुमार ने प्रधानमंत्री और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के महानिदेशक को एक पत्र लिख कर दोषियों के खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। पत्र की एक प्रतिलिपि उन्होंने डी.जी.एच.एस., नई दिल्ली के अतिरिक्त महानिदेशक को भी भेजी है।

मजदूर मोर्चा

फरीदाबाद के पाठकों के लिए मजदूर मोर्चा अब हॉकरों के माध्यम से उपलब्ध है। जो भी हॉकर आपके यहां अखबार देने आता है, वह मांगने पर मज़दूर मोर्चा अवश्य देगा। डाक से अखबार पहुंचे या नहीं, इसका कोई ठिकाना न होने के कारण हमने यह नई व्यवस्था की है। अखबार मिलने में किसी तरह की समस्या होने पर हमारे प्रसार प्रबंधक से निम्न मोबाइल नंबर पर संपर्क करें :

दीक्षित न्यूज एजेंसी, 9811159238

मजदूर मोर्चा प्रिंट फोर्ट, नेहरू ग्राउण्ड पर भी उपलब्ध है।